




**प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज**  
**Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj**

(Formerly Allahabad State University, Allahabad)

A Public University established under Uttar Pradesh State University Act 1973



पत्रांक : प्रोरासिविवि / कुसका / 2026- 3453

दिनांक : ०४ / 07 / 2026

सेवा में,

**समस्त प्राचार्य / प्राचार्या**

सम्बद्ध प्रो० राजेन्द्र सिंह रज्जू भय्या विश्वविद्यालय,  
 प्रयागराज, उ०प्र०।

**विषय:**—शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्देशिका के निर्गमन विषयक।

**महोदय,**

कृपया अवगत कराना है कि शैक्षिक सत्र 2026-27 के स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया-2026 के सम्बन्ध में प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।  
 संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया

**प्रो० (विनीता यादव)**  
 कुलसचिव

**पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।**

**प्रतिलिपि :** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा० कुलपति।
2. निदेशक, प्रवेश।
3. समर्थ प्रभारी।
4. प्रभारी एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की कॉलेज लॉगिन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करे।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव



**PRSU** | Dedicated to  
**EXCELLENCE**



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

## स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया-2026

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अशासकीय अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में स्नातक एवं परास्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी विवरण



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज (PRSU)


नैनी, प्रयागराज – 211010

University Website: [www.prsuniv.ac.in](http://www.prsuniv.ac.in), Admission Portal: <https://prsunivadm.samarth.edu.in>

## संदेश

प्रिय अभ्यर्थियों,

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आप प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय में विभिन्न व्यावसायिक एवं शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अपना भविष्य निर्मित करने की दिशा में अग्रसर हैं। सात वर्षों से अधिक की गौरवशाली परंपरा वाला यह विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने तथा उनके सपनों को साकार करने हेतु निरंतर प्रयासरत है।



प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय ज्ञान के सृजन, संवर्धन एवं प्रसार के माध्यम से मध्य भारत के एक प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित हुआ है। विश्वविद्यालय के 07 संकायों के अंतर्गत संचालित 36 शिक्षण विभाग एवं 765 से अधिक संबद्ध महाविद्यालय प्रतिवर्ष लगभग 5.65 लाख विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। विविध पाठ्यक्रम संरचना, बहुविषयक शोध एवं मूल्यपरक शिक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालय समाज के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

शैक्षणिक उत्कृष्टता विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग विभिन्न संकायों में स्नातक, समेकित स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध कार्यक्रम संचालित करते हैं। आधुनिक तकनीकों, नवाचारपूर्ण शिक्षण पद्धतियों एवं प्रभावी शैक्षणिक वातावरण के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षण प्रक्रिया में अनुभवात्मक अधिगम, सहभागितापूर्ण अध्ययन एवं समस्या-समाधान आधारित पद्धतियों को विशेष महत्व दिया जाता है।

समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों, आईसीटी आधारित शिक्षण संसाधनों, उत्कृष्ट शिक्षण एवं शोध अधोसंरचना तथा आवश्यक सहयोगात्मक सुविधाओं के माध्यम से विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। विद्यार्थियों का समग्र व्यक्तित्व विकास विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य है।

विश्वविद्यालय का छात्र कल्याण विभाग विद्यार्थियों को खेलकूद, सांस्कृतिक एवं सह-पाठ्यक्रमीय गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता हेतु प्रोत्साहित करता है। करियर काउंसलिंग एवं मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, प्लेसमेंट सेल तथा एलुमनाई सेल विद्यार्थियों को करियर निर्माण, मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मैं आपको प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा बनने हेतु हार्दिक आमंत्रण देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विश्वविद्यालय का समृद्ध शैक्षणिक वातावरण, उत्कृष्ट शिक्षण परंपरा एवं प्रेरणादायी परिसर आपको ज्ञान, कौशल एवं नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण बनाकर उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करेगा।

मैं विश्वविद्यालय परिसर में आपका स्वागत करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ तथा आपके उज्ज्वल एवं सफल भविष्य की मंगलकामनाएँ करता हूँ।

डॉ० अखिलेश कुमार सिंह

(कुलपति)

प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय  
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

## विश्वविद्यालय एक दृष्टि में

प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है, जो शैक्षणिक उत्कृष्टता, नवाचार, अनुसंधान एवं विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने तथा समाज के विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित यह विश्वविद्यालय आज मध्य भारत के एक महत्वपूर्ण शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है। विश्वविद्यालय का नाम महान शिक्षाविद् एवं दूरदर्शी व्यक्तित्व प्रो. राजेन्द्र सिंह “रज्जू भय्या” के नाम पर रखा गया है, जिनके आदर्श ज्ञान, अनुशासन, राष्ट्रभावना एवं सामाजिक समर्पण पर आधारित थे।

स्थापना के समय से ही विश्वविद्यालय ने एक ऐसे शैक्षणिक वातावरण के निर्माण पर बल दिया है, जो बौद्धिक विकास, नैतिक मूल्यों एवं व्यावसायिक दक्षता को प्रोत्साहित करता हो। प्रगतिशील दृष्टिकोण एवं छात्र-केंद्रित शिक्षा प्रणाली के कारण यह विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का एक पसंदीदा केंद्र बन चुका है। विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, समेकित एवं शोध कार्यक्रम संचालित करता है, जो विद्यार्थियों की बदलती शैक्षणिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

वर्तमान में विश्वविद्यालय में 07 संकायों के अंतर्गत 36 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग संचालित हैं तथा इससे 765 से अधिक महाविद्यालय संबद्ध हैं। प्रतिवर्ष लगभग 5.65 लाख विद्यार्थी विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों में अध्ययन करते हैं। इस विस्तृत शैक्षणिक नेटवर्क के माध्यम से विश्वविद्यालय राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है।

विश्वविद्यालय की शैक्षणिक संरचना बहुविषयक एवं अंतर्विषयक अध्ययन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित की गई है। विश्वविद्यालय कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, विधि, कृषि, कंप्यूटर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, योग, व्यावसायिक अध्ययन तथा विभिन्न प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करता है। पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) तथा उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर अद्यतन किया जाता है, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक शिक्षा प्राप्त हो सके।

शैक्षणिक उत्कृष्टता विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विश्वविद्यालय में कार्यरत योग्य एवं अनुभवी शिक्षक आधुनिक एवं नवाचारपूर्ण शिक्षण विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में अनुभवात्मक अधिगम, परियोजना-आधारित अध्ययन, सहभागितापूर्ण शिक्षा एवं समस्या-समाधान आधारित पद्धतियों को विशेष महत्व दिया जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल शिक्षण संसाधनों तथा आधुनिक शिक्षण तकनीकों का उपयोग विद्यार्थियों के लिए प्रभावी एवं गतिशील शिक्षण वातावरण तैयार करता है।

अनुसंधान एवं नवाचार विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। विश्वविद्यालय विभिन्न विभागों एवं शोध केंद्रों के माध्यम से उभरते एवं सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर शोध कार्यों को प्रोत्साहित करता है। शोधार्थी एवं शिक्षक शोध परियोजनाओं, प्रकाशनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों में सक्रिय सहभागिता करते हैं, जिससे ज्ञान के सृजन एवं प्रसार को बढ़ावा मिलता है। विश्वविद्यालय अंतर्विषयक शोध सहयोग को भी प्रोत्साहित करता है तथा विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विश्लेषणात्मक क्षमता एवं नवाचार की भावना विकसित करने का प्रयास करता है।

विश्वविद्यालय ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शोध के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना एवं सुविधाओं का विकास किया है। परिसर में सुव्यवस्थित शैक्षणिक भवन, प्रयोगशालाएँ, सेमिनार हॉल, पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर लैब उपलब्ध हैं। केंद्रीय पुस्तकालय विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण ज्ञान संसाधन केंद्र है, जहाँ पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, संदर्भ सामग्री एवं डिजिटल संसाधनों का समृद्ध संग्रह उपलब्ध है। ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म एवं ऑनलाइन शैक्षणिक डेटाबेस तक पहुँच विद्यार्थियों के अध्ययन एवं शोध अनुभव को और अधिक सुदृढ़ बनाती है।

आधुनिक शिक्षा में तकनीक के महत्व को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने विभिन्न डिजिटल पहलों को अपनाया है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा प्रबंधन, डिजिटल परीक्षा प्रणाली एवं ई-गवर्नेंस आधारित प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने पारदर्शिता, दक्षता एवं सुगमता को बढ़ावा दिया है। विश्वविद्यालय निरंतर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समाहित कर विद्यार्थियों को बेहतर सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

विश्वविद्यालय का मानना है कि शिक्षा केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास में सहायक होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से सह-पाठ्यक्रमीय, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं खेल गतिविधियों को समान महत्व दिया जाता है। छात्र कल्याण विभाग विद्यार्थियों को खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, युवा उत्सवों एवं सामुदायिक गतिविधियों में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करता है। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, टीम भावना एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास होता है।

विश्वविद्यालय खेल एवं शारीरिक शिक्षा को भी विशेष महत्व देता है। विभिन्न खेल प्रतियोगिताएँ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने में सहायक हैं। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं।

विद्यार्थियों के करियर विकास एवं रोजगारोन्मुखी कौशल के संवर्धन हेतु विश्वविद्यालय में करियर काउंसलिंग एवं मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, प्लेसमेंट सेल तथा एलुमनाई सेल सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। व्यक्तित्व विकास, कौशल प्रशिक्षण, उद्योगों से संवाद एवं रोजगारपरक कार्यशालाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यावसायिक चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। विश्वविद्यालय अपने पूर्व छात्रों के साथ भी निरंतर संपर्क बनाए रखता है, जिनकी उपलब्धियाँ वर्तमान विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।


विश्वविद्यालय समावेशिता, समानता, सामाजिक न्याय एवं पर्यावरणीय जागरूकता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न विस्तार एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक विकास जैसे विषयों पर समाज में जागरूकता उत्पन्न की जाती है। एनएसएस, एनसीसी एवं अन्य छात्र गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक सेवा के कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण के अनुरूप विश्वविद्यालय बहुविषयक शिक्षा, कौशल आधारित अधिगम, शैक्षणिक लचीलापन एवं परिणामोन्मुख शिक्षा प्रणाली को अपनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। नवाचार, उद्यमिता, व्यावसायिक शिक्षा एवं शोध आधारित अध्ययन को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों को वैश्विक परिवर्तनों एवं आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य ऐसे सक्षम, जिम्मेदार एवं नैतिक नागरिक तैयार करना है, जो समाज एवं राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

वर्षों से विश्वविद्यालय ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता के माध्यम से विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं समाज का विश्वास अर्जित किया है। सुदृढ़ आधारभूत संरचना, दूरदर्शी नेतृत्व एवं समर्पित शैक्षणिक समुदाय के साथ विश्वविद्यालय निरंतर उत्कृष्टता, नवाचार एवं समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर है।

एक जीवंत एवं प्रगतिशील उच्च शिक्षण संस्थान के रूप में विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों एवं पृष्ठभूमियों से आने वाले विद्यार्थियों का स्वागत करता है। विश्वविद्यालय ज्ञान, कौशल, नैतिक मूल्यों एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण ऐसी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो विद्यार्थियों को जीवन में सफलता प्राप्त करने तथा समाज एवं राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदान देने के लिए सक्षम बनाए।

## Steps for Online Form filling: Flow Chart



# प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

## प्रवेश प्रक्रिया - (सत्र : 2026-2027)

### महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

प्रवेश हेतु आवेदन तथा वेब पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	08-07-2026
प्रवेश हेतु आवेदन तथा वेब पंजीकरण शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	31-07-2026

### (महत्त्वपूर्ण नियम एवं शर्तें)

1. इस प्रवेश विवरणिका में वर्णित समस्त दिशानिर्देश विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अशासकीय अनुदानित तथा स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में सत्र 2026-2027 के लिए स्नातक एवं परास्नातक प्रवेश से सम्बन्धित हैं।
2. सत्र 2026-2027 में प्रवेश प्रक्रिया अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर पर विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल में सम्पन्न करेंगे; आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी दशा में ऑफलाइन/अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं होंगे।
3. समस्त महाविद्यालय प्रवेश से सम्बन्धित दिशानिर्देश के अनुसार अभ्यर्थियों की सहायता ऑनलाइन आवेदन करने में कर सकते हैं।
4. समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश से सम्बन्धित दिशानिर्देश समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जायेंगे। किसी नवीन सूचना हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन अवश्य करते रहें।
5. महाविद्यालयों में प्रवेश एवं वेब पंजीकरण की तिथियाँ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएंगी। अन्तिम तिथि के पश्चात् किसी भी दशा में प्रवेश एवं वेब पंजीकरण स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।
6. प्रवेश मात्र महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों पर ही दिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय नियमानुसार किसी भी पाठ्यक्रम और प्रवेश प्रक्रिया में कोई भी परिवर्तन कर सकता है।
7. यह सूचना पुस्तिका/विवरणिका अभ्यर्थियों के लिए सामान्य दिग्दर्शन मात्र है तथा समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय परिणियमों के अधीन हैं।
8. इस विवरणिका में दी गयी समस्त सूचनाएं प्रामाणिक हैं। तत्पश्चात् होने वाला कोई भी परिवर्तन विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.prsuniv.ac.in](http://www.prsuniv.ac.in) पर दिए गये लिंक **Admission Portal** पर उपलब्ध होगी।
9. अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित कर लें कि जिस पाठ्यक्रम में वे प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, उस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वह अर्ह है, प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता का विवरण इस विवरणिका में तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
10. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय विशेष सतर्कता बरतें। अभ्यर्थी अपनी पात्रता के आधार पर पाठ्यक्रम का चयन करें। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा उपलब्ध करायी गई समस्त सूचनाएं सत्य हैं और उनकी प्रविष्टियाँ आवेदन पत्र में सही हैं। सूच्य है कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाएं एवं आवेदन पत्र में भरी गई प्रविष्टियों को किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जायेगा और विश्वविद्यालय न तो इस संदर्भ में उत्तरदायी होगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आवेदन/निवेदन स्वीकार करेगा। इसके उपरांत भी यदि त्रुटियाँ होती है तो प्रति त्रुटि के सुधार हेतु रूपये 100/- का अर्थदण्ड प्रभावी होगा।
11. प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण हेतु वेब पंजीकरण शुल्क रू 50/- (Non-refundable) निर्धारित किया गया है। जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् ही आपका प्रवेश वेब पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी और आप अपने ऑनलाइन पंजीकरण का पी.डी.एफ. डाउनलोड कर सकते हैं।
12. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भविष्य में पत्र व्यवहार एवं सन्दर्भ हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की छायाप्रति/फ़ीस जमा करने के विवरण सहित अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें।
13. किसी भी प्रकार के विवाद पर विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा। विश्वविद्यालय इस विवरणिका में दिए किसी भी बिन्दु में किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन कर सकता है तथा किसी भी बिन्दु को निरस्त कर सकता है।
14. यदि कोई अभ्यर्थी अहर्ता परीक्षा में किसी भी वर्ष/सेमेस्टर में बैक है तो वह अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं है। पूर्ण रूप से अहर्ता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्रवेश के लिए पात्र है।

15. यदि कोई अभ्यर्थी अहर्ता परीक्षा में प्रतिभाग (Appear) कर रहा है अथवा उसके अहर्ता परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है तो वे अभ्यर्थी भी प्रवेश हेतु पात्र है लेकिन इनका प्रवेश अहर्ता परीक्षा के अंतिम परिणाम पर आधारित होगा। ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश अस्थायी होगा। अहर्ता परीक्षा का परिणाम/प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15.08.2026 होगी।
16. अभ्यर्थी को प्रवेश पोर्टल में अपने सभी अकादमिक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है तथा महाविद्यालय प्रवेश के समय अभ्यर्थियों से सभी प्रकार के दस्तावेज की प्रति अवश्य जमा कराएँ। विश्वविद्यालय द्वारा इनकी जाँच की जा सकती है।
17. समस्त अभ्यर्थियों द्वारा अपने अंतिम विद्यालय अथवा महाविद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र/माइग्रेशन प्रमाण पत्र (Transfer Certificate/ Migration) जमा किया जाना अनिवार्य है। जब तक अभ्यर्थी स्थानांतरण प्रमाण पत्र/माइग्रेशन प्रमाण पत्र जमा नहीं करता उसका प्रवेश अस्थायी रहेगा। यदि अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्र जमा नहीं करता है तो विश्वविद्यालय उसका प्रवेश निरस्त कर देगा।
18. यदि किसी अभ्यर्थी ने स्थानांतरण प्रमाण पत्र/माइग्रेशन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो महाविद्यालय ऐसे अभ्यर्थियों के प्रवेश तथा परीक्षा फॉर्म पर विचार नहीं करेगा और न ही ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देगा।
19. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश के समय ही क्रेडिट ट्रांसफर हेतु ABC/APAAR id उपलब्ध करानी होगी। विद्यार्थी ABC की वेबसाइट [www.abc.gov.in](http://www.abc.gov.in) में जाकर अपने आधार कार्ड के माध्यम से ABC/APAAR id हेतु पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के पश्चात् 12 अंकों की एक ABC/APAAR id प्राप्त होगी; जिसका उल्लेख वेब पंजीकरण फॉर्म में करना होगा। प्रत्येक विद्यार्थी का डिजीलॉकर में पंजीकरण आवश्यक होगा; क्योंकि ABC/APAAR id में पंजीकरण हेतु डिजीलॉकर में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
20. प्रवेश फार्म/ वेब पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन किए जाने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-
  - a. सर्वप्रथम अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.prsuniv.ac.in](http://www.prsuniv.ac.in) पर जायेगा।
  - b. वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर **Admission Portal** के टैब में क्लिक करे, जिसके बाद एक नया वेब पेज खुलेगा।
  - c. इस पृष्ठ में **Affiliated College** वाले बॉक्स में **Apply Now** पर क्लिक करें, जिससे पश्चात् प्रवेश पोर्टल का वेब पेज खुलेगा।
  - d. अभ्यर्थी इस प्रवेश पोर्टल में सर्वप्रथम **New Registration** टैब पर क्लिक करके अपना पंजीकरण कर सकते हैं। कृपया पंजीकरण के लिए अभ्यर्थी अपना स्वयं का वैलिड ई-मेल एवं मोबाइल का प्रयोग करें। पंजीकरण के दौरान आपसे एक पासवर्ड का निर्माण कराया जायेगा। कृपया पंजीकरण के उपरान्त ई-मेल एवं पासवर्ड से पोर्टल में लॉगिन करें।
  - e. अभ्यर्थी लॉगिन के उपरान्त सर्वप्रथम **APPAR/ABC ID** प्रमाणित करें। तदोपरांत अपनी प्रोफाइल को पूर्ण करें। ध्यान रहे एक बार प्रोफाइल लॉक होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। प्रोफाइल पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु चयन करें। अभ्यर्थी एक पंजीकरण से अपनी योग्यता के अनुसार एक से अधिक पाठ्यक्रम चयनित कर सकता है।
  - f. पाठ्यक्रम चयन के पश्चात् विद्यार्थी ऑनलाइन शुल्क जमा करें, शुल्क जमा करने के बाद आवेदन सफलतापूर्वक पूर्ण माना जायेगा।
  - g. इस बात का ध्यान रहे कि आवेदन पत्र भरते समय जब तक आप **Final Submit** टैब में क्लिक नहीं करते, आप आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं किन्तु एक बार आवेदन पत्र सबमिट हो जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।
  - h. सफलतापूर्वक आवेदन हो जाने के पश्चात् आप आवेदन पत्र को प्रिंट कर सकते हैं। आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ समस्त अकादमिक प्रमाणपत्रों को संलग्न करके हार्ड कॉपी महाविद्यालय में जमा करें। महाविद्यालय द्वारा आपके प्रवेश से सम्बंधित समस्त दस्तावेजों की जाँच की जाएगी और अहर्ता के अनुसार अपने समर्थ पोर्टल से अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन को प्रोसेस करके प्रवेश की पुष्टि की जाएगी।
  - i. आप किसी भी समय लॉगिन करके आवेदन पत्र का प्रिंट ले सकते हैं।
  - j. भविष्य में पत्राचार हेतु कृपया फॉर्म/पंजीकरण संख्या एवं आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर/ईमेल का प्रयोग अवश्य करें।
  - k. विश्वविद्यालय में एक सत्र में केवल एक पाठ्यक्रम में ही प्रवेश होता है यदि आप एक से अधिक आवेदन करते हैं तो आपको प्रवेश किसी एक पाठ्यक्रम में ही लेना होगा।
  - l. यदि अभ्यर्थी किसी पाठ्यक्रम में पहले से ही पंजीकृत है तो कृपया वे नए सत्र में प्रवेश हेतु पंजीकरण न करें फिर भी वे यदि किसी नए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो पहले अपने पुराने पाठ्यक्रम का पंजीकरण कुलसचिव को प्रार्थना पत्र देकर निरस्त करवाएं।

m. विद्यार्थी किसी एक सत्र में केवल एक पाठ्यक्रम में ही अध्ययन कर सकता है। यदि विश्वविद्यालय को यह जानकारी मिलती है कि कोई विद्यार्थी दो पाठ्यक्रमों में पंजीकृत है तो उसके दोनों पाठ्यक्रमों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी विद्यार्थी की होगी।

**21. मूल अभिलेख :** प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मूल अभिलेख एवं उनकी एक छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।  
(महाविद्यालय इनके बिना अभ्यर्थी के प्रवेश के दावे पर विचार नहीं करेंगे )

1. हाईस्कूल का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र	5. ई०डब्ल्यू०एस० प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
2. इंटरमीडिएट/स्नातक का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र	6. दो रंगीन छायाचित्र
3. माइग्रेसन/ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र	7. अधिभार प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
4. जाति/आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	8. अन्तराल हेतु एफिडेविट

**17. छात्रवृत्ति :** महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अधीन छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।

**18. आरक्षण नीति एवं अधिभार प्रक्रिया :-** उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा।  
महाविद्यालयों द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आरक्षण का पालन किया जायेगा :

(क) अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत
(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग (इसके लिए क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी अर्ह नहीं हैं)	27 प्रतिशत
(घ) आर्थिक कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु –	सम्पूर्ण अनुमन्य सीटों का 10% (सामान्य वर्ग से)

**नोट :** 1. उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II दिनांक 18 फरवरी 2019 के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु अनुमन्य कुल सीटों के सापेक्ष 10% सीटों पर सामान्य वर्ग की उपलब्ध सीटों के अन्तर्गत आरक्षण किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप – यदि किसी पाठ्यक्रम में 60 सीटें प्रवेश के लिए उपलब्ध हैं तो सामान्य वर्ग की 30 सीटों के अन्तर्गत 06 सीटें EWS वर्ग के लिए इस प्रकार आरक्षित की जाएंगी कि 01 सीट महिला (20% महिला आरक्षण) तथा 05 सीट पुरुष अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु उपलब्ध हो।

2. उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1, दिनांक 13 अगस्त, 2019 द्वारा सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर-अनुदानित) में प्रवेश के लिए 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर प्रणाली जारी की गई है। विश्वविद्यालय परिसर तथा समस्त महाविद्यालयों में इसी 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर प्रणाली के आलोक में समस्त प्रवेश सम्पन्न किए जायेंगे।

#### क्षैतिज आरक्षण -

(क) शारीरिक रूप से विकलांग (दृष्टिबाधितों हेतु 1% को सम्मिलित करते हुए)	05 प्रतिशत
(ख) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री, प्रपौत्र/प्रपौत्री)	02 प्रतिशत
(ग) भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में शहीद, युद्ध में अपंग रक्षाकर्मी अथवा उनके पाल्य	02 प्रतिशत
(घ) कार्यरत सैनिक एवं उनके पाल्य (पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री)	01 प्रतिशत
(ङ) महिला अभ्यर्थियों के लिए	20 प्रतिशत

**नोट :** आरक्षण का लाभ मात्र उत्तर प्रदेश के मूलनिवासियों को ही प्रदान किया जाएगा। क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अधीन होगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी का नवीनतम प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।

**अधिभार -** अधिभार का लाभ मात्र उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन होगा।

(क) एन०सी०सी० "बी०" अथवा "सी०" प्रमाणपत्र धारक	2.5 प्रतिशत
(ख) उत्कृष्ट खिलाड़ी	05 प्रतिशत

**महाविद्यालयों में संचालित सामान्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ताएं एवं पूर्व पात्रताएं तथा सीटों की अनुमन्यता :-**

	पाठ्यक्रम	अधिकतम सीट (प्रति सेक्शन)	न्यूनतम अहर्ताएं एवं पूर्व पात्रता	
1.	बी. ए.	60 प्रति विषय	किसी भी विषय वर्ग में 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति -35%) के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	
2.	बी-एस.सी.	60 प्रति विषय	विज्ञान वर्ग में 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति -35%) के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	
3.	बी.कॉम	60	वाणिज्य/विज्ञान/गणित/ अर्थशास्त्र सहित किसी भी विषय वर्ग में 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति -35%) के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	
4.	प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व	60	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय वर्ग में 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।	
5.	मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास	60		
6.	दर्शनशास्त्र	60		
7.	राजनीति विज्ञान	60		
8.	समाजशास्त्र	60		
9.	अर्थशास्त्र	60		
10.	हिन्दी साहित्य	60		
11.	संस्कृत	60		
12.	अंग्रेजी साहित्य	60		
13.	उर्दू	60		
14.	रक्षा एवं स्नातेजिक अध्ययन	40		
15.	शिक्षाशास्त्र	60		
16.	भूगोल	40		
17.	गृह विज्ञान	40		
18.	शारीरिक शिक्षा	40		किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्ण।
19.	भौतिक विज्ञान	40		किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भौतिक विज्ञान सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्ण।
20.	गणित	40		किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से गणित विषय सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्ण।
21.	वनस्पति विज्ञान	40	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वनस्पति विज्ञान सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्ण।	
22.	जन्तु विज्ञान	40	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जन्तु विज्ञान सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्ण।	
23.	रसायन विज्ञान	40	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्ण।	
24.	रक्षा एवं स्नातेजिक अध्ययन	40	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रक्षा एवं स्नातेजिक अध्ययन सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्ण।	
25.	एम०कॉम०	60	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०कॉम० तथा अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी के साथ 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्ण।	

**महाविद्यालयों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ताएं एवं पूर्व पात्रताएं तथा सीटों की संख्या:**

Sr	Name of the Programmes	Duration	Minimum Eligibility
1.	BBA	3 Years (6 Semester)	12 <sup>th</sup> in any stream with 45% (SC & ST 40%) from a recognized Institute
2.	BA-LLB (Honors)/ BA-LLB	5 Years (10 Semester)	10+2 in any stream with 45% marks (42% for OBC and 40% in case of SC and ST category) from a recognized institution.
3.	B.P.Ed	2 Years (4 Semester)	Graduation with 40% (SC & ST 35%) with Physical Education from a recognized Institute
4.	B.Lib.	1 Years (2 Semester)	12 <sup>th</sup> in any stream with 50% (SC & ST 45%) from a recognized Institute
5.	BCA	3 Years (6 Semester)	12 <sup>th</sup> with 45% (40% for SC and ST) with Mathematics / Statistics / Information Technology / Computer Science / Information Science/Accountancy as one of the subjects from a recognized Institute.
6.	B.Sc. (Ag.) Honors	4 Years (8 Semester)	10+2 with Agriculture or Science Group with 50% (45% for SC and ST) from a recognized Institute.
7.	B.Sc. Biotech	3 Year (6 Semester)	10+2 with 50% (45% for SC and ST) with Biology or Mathematics from a recognized institute
8.	M.Ed.	2 Years (4 Semester)	B.Ed./B.A.-B.Ed./B.Sc-B.Ed./ B.Com.-B.Ed./ B.El.Ed./ with 50% (45% for SC and ST) from a recognized institution.
9.	M.P.Ed.	2 Years (4 Semester)	B.P.Ed with 50% (45% for SC & ST) from a recognized institute. Or Graduation with 50% (SC & ST 45%) with Physical Education from a recognized Institute
10.	M.Lib.	1 Years (2 Semester)	B.lib with 50% (SC & ST 45%) from a recognized institute
11.	M.Sc. (Ag.) Horticulture	2 Years (4 Semester)	B.Sc.-(Ag) with 50% (SC & ST 45%) from a recognized institute
12.	M.Sc. (Ag.) Soil Science	2 Years (4 Semester)	B.Sc.-(Ag) with 50% (SC & ST 45%) from a recognized institute
13.	M.Sc. (Ag.) Genetics and Plant Breeding	2 Years (4 Semester)	B.Sc.-(Ag) with 50% (SC & ST 45%) from a recognized institute
14.	M.Sc. (Ag.) Economics	2 Years (4 Semester)	B.Sc.-(Ag) with 50% (SC & ST 45%) from a recognized institute
15.	M.Sc. (Ag.) Extension	2 Years (4 Semester)	B.Sc.-(Ag) with 50% (SC & ST 45%) from a recognized institute

कुलसचिव

# खण्ड-ख

---

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुपालन में  
प्रवेश/पाठ्यक्रम संरचना/परीक्षा एवं मूल्यांकन  
व्यवस्था हेतु विस्तृत दिशानिर्देश

---



## प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

### स्नातक तीन वर्षीय, स्नातक चार वर्षीय, परास्नातक एक वर्षीय, परास्नातक द्विवर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु सामान्य दिशानिर्देश (संशोधित)

" राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आलोक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित उक्त पाठ्यक्रमों हेतु नवीन पाठ्यक्रम संरचना को सत्र 2024-2025 से लागू करने हेतु सामान्य दिशानिर्देश"

1. प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों पर यह दिशानिर्देश लागू होंगे तथा समस्त महाविद्यालयों को इन सभी दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
2. NEP-2020 से सम्बन्धित उच्च शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देशित नियम सत्र 2021-22 में स्नातक स्तर पर प्रवेशित छात्रों में पूर्व से ही लागू हैं। ये सभी विद्यार्थी चार वर्षीय स्नातक एवं परास्नातक हेतु अर्ह होंगे अर्थात् तृतीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी अर्हतानुसार चार वर्षीय स्नातक हेतु अध्ययन जारी रख सकते हैं।
3. महाविद्यालयों में चार वर्षीय स्नातक केवल उन विषयों में अनुमत्य होगा, जिन विषयों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। यदि महाविद्यालय में केवल स्नातक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं तो वह विद्यार्थी चतुर्थ वर्ष हेतु परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं।
4. न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के आधार पर शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये स्नातक स्तर के समस्त विषयों के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कृपया केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ही सम्बन्धित पाठ्यक्रम को डाउनलोड करें।
5. इस दिशानिर्देश के साथ संलग्न पाठ्यक्रम संरचना के आधार पर ही सभी संकायों कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं प्रबन्धन पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या का निर्माण अनिवार्य रूप से करना होगा। ये दिशानिर्देश बी.ए., बी.एस-सी., बी.कॉम, बी.बी.ए. बी.सी.ए. एवं एम.ए., एम.एस-सी., एम.कॉम, एम.बी.ए. एम.सी.ए. पाठ्यक्रमों में ही प्रभावी होंगे।
6. प्रवेश, विषय चयन एवं न्यूनतम अर्हताएं :- समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम (नियमित तथा स्ववित्तपोषित) में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 13.08.2019 को जारी 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर/आरक्षण नीति का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
  - a) तीन वर्षीय/ चार वर्षीय स्नातक, एक वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रम:
    - सर्वप्रथम विद्यार्थी महाविद्यालय में अपने संकाय का चुनाव स्नातक स्तर पर अपने प्रवेश पर ही करेगा।
    - महाविद्यालय उपलब्ध सीटों एवं नियमों के आलोक में विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय में प्रवेश देगा।
    - प्रथम तीन वर्ष (प्रथम सेमेस्टर से षष्ठ सेमेस्टर) हेतु विद्यार्थी अपने संकाय से दो मुख्य विषयों का चुनाव करेगा। ये दोनों विषय अनिवार्य रूप से एक ही संकाय से होंगे।
    - इसके उपरान्त विद्यार्थी को तीसरे विषय के रूप में प्रथम दो वर्ष (प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर) हेतु एक माइनर (इलेक्टिव) विषय (न्यूनतम 5 क्रेडिट) अपने अथवा किसी दूसरे संकाय से अनिवार्यतः लेना होगा। महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर (इलेक्टिव) विषय आवंटित किया जायेगा।
    - प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में एक-एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम/SEC एवं वैल्यू एडेड कोर्स का चयन करना होगा।
    - प्रत्येक विद्यार्थी को द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में एक-एक सह-पाठ्यक्रम/AEC एवं समर ट्रेनिंग/इंटरशिप/अप्रेंटिसशिप का चयन करना होगा।
    - प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष (पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर) में केवल दो मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा।
    - प्रत्येक विद्यार्थी को चतुर्थ वर्ष (सप्तम एवं अष्टम सेमेस्टर) में तृतीय वर्ष में चयन किये गए दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा तथा पंचम वर्ष (नवम एवं दशम सेमेस्टर) में भी इसी विषय का अध्ययन करना होगा।



## प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

### b) एक वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रम:

- यदि कोई विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट के साथ चार वर्षीय स्नातक की उपाधि की योग्यता पूर्ण करता है तो वह परास्नातक हेतु पंचम वर्ष (नवम एवं दशम सेमेस्टर) में प्रवेश ले सकता है। यहाँ पर विद्यार्थी को अपने चतुर्थ वर्ष के मुख्य विषय से ही परास्नातक उपाधि पूर्ण करनी होगी।

### c) दो वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रम:

- दो वर्षीय परास्नातक हेतु विद्यार्थी पूर्वपात्रता (Prerequisites) के आधार पर स्नातक स्तर पर अध्ययन किये गए मेजर अथवा माइनर (न्यूनतम दो वर्ष तक पढ़े गए विषय सहित) में से किसी भी विषय में प्रवेश ले सकता है।
- यदि कोई विद्यार्थी तीन वर्ष की स्नातक उपाधि के पश्चात परास्नातक प्रथम वर्ष (सेमेस्टर प्रथम एवं द्वितीय) में प्रवेश लेता है और एक वर्ष पूर्ण करने के पश्चात निकास की सुविधा लेता है तो उसे सम्बन्धित पाठ्यक्रम में एक वर्ष की परास्नातक डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा।
- दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय में परास्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी।

### d) प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हताएं:

क्र०स०	पाठ्यक्रम/संकाय	न्यूनतम अर्हताएं
1.	बी०ए०/कला संकाय	इसके साथ ही धारा-12 में वर्णित पूर्व-पात्रता का अनुपालन भी करना होगा।
2.	बी०एस-सी०/ विज्ञान संकाय	
3.	बी०कॉम०/ वाणिज्य संकाय	
4.	बी०बी०ए०/प्रबन्धन संकाय	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 45% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 40%) के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
5.	बी०सी०ए०/ विज्ञान संकाय	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से गणित / सांख्यिकी / सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / सूचना विज्ञान / लेखांकन में से किसी एक विषय के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा 45% (अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति 40%) अंकों के साथ उत्तीर्ण।
6.	एम०ए०/कला संकाय	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ सम्बन्धित विषय में स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
7.	एम०एस-सी०/ विज्ञान संकाय	
8.	एम०कॉम०/ वाणिज्य संकाय	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०कॉम० अथवा अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी के साथ 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्ण।
9.	एम०बी०ए०/प्रबन्धन संकाय	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 45%) के साथ बी०बी०ए० उत्तीर्ण।
10.	एम०सी०ए०/ विज्ञान संकाय	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 45%) के साथ बी०सी०ए०/कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर अनुप्रयोग के साथ स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

नोट : हाईस्कूल के उपरांत तीन वर्षीय पॉलीटेक्नीक डिप्लोमा इंटरमीडिएट के समकक्ष मानी जाएगी।

### 7. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया :-

- विद्यार्थी को सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार-परक (Vocational) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
- विद्यार्थी को सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर ही स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी।
- विद्यार्थी को सफलतापूर्वक चार वर्ष पूर्ण करने पर ही चार वर्षीय स्नातक (ऑनर्स अथवा शोध सहित ऑनर्स) की उपाधि प्रदान की जाएगी।
- विद्यार्थी को सफलतापूर्वक पांच वर्ष पूर्ण करने पर ही परास्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी।
- यदि कोई विद्यार्थी लेटरल इंट्री के अन्तर्गत परास्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेता है और सफलतापूर्वक प्रथम वर्ष पूर्ण करने के पश्चात निकास की सुविधा लेता है तो उसे एक वर्षीय परास्नातक डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा।



## प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

- लेटरल इंट्री से प्रवेश लेने वाला विद्यार्थी यदि सफलतापूर्वक दो वर्ष पूर्ण करता है तो उसे सम्बन्धित विषय में एकीकृत परास्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी।
- एक वर्षीय परास्नातक हेतु विद्यार्थी को संस्था में संचालित हो रहे दो वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर में लेटरल प्रवेश लेना होगा।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर पुनः प्रवेश ले सकेगा, किन्तु प्रवेश लेने पर उसे अपना सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/स्नातक उपाधि इत्यादि विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
- पूर्व पात्रता के आधार पर स्नातक विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में मेजर अथवा माइनर विषय आपस में परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी।

### 8. संकाय एवं उपाधि पूर्ण करने की शर्तें :-

- विद्यार्थी जिस संकाय में सफलतापूर्वक न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसको उपाधि प्रदान की जाएगी।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की उपाधि दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी भी विषय की पूर्व पात्रता की आवश्यक शर्त नहीं होगी।

### 9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को ऑनलाइन क्रेडिट अर्जित करने वाली अन्य सुविधायें :-

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं जैसे SWAYAM, MOOCs इत्यादि से यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा 40 प्रतिशत तक क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड़ सकेंगे। ऑनलाइन विषय चयनित करने की यह सुविधा मुख्य विषयों को छोड़कर अन्य पर ही लागू होगी।
- विद्यार्थी उक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पंजीकरण करके निःशुल्क अध्ययन कर सकते हैं। जिसकी परीक्षाएं विश्वविद्यालय सत्रान्त में संपन्न करेगा।
- विद्यार्थी को SWAYAM पोर्टल से चयनित किये गए पाठ्यक्रमों की आन्तरिक परीक्षा/असाइनमेंट SWAYAM पोर्टल से ही ऑनलाइन पूर्ण करने होंगे। 75% ऑनलाइन असाइनमेंट पूर्ण करने तथा असाइनमेंट में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा हेतु अर्ह होगा।
- विद्यार्थी द्वारा चयनित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूचना विश्वविद्यालय को देनी होगी। अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा। एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात् वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा।
- शासनादेशानुसार प्रत्येक महाविद्यालय एक डिजिटल नोडल सेन्टर की स्थापना करेगा तथा डिजिटल नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करेगा। नोडल ऑफिसर विद्यार्थियों को उक्त प्लेटफॉर्म से कोर्स चयन, उनके मूल्यांकन तथा क्रेडिट ट्रांसफर में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेंगे।
- महाविद्यालयों/विभागों द्वारा चयनित किये गए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के क्रेडिट जिस कोर्स के सापेक्ष ऑनलाइन कोर्स चयनित किया गया है उसके क्रेडिट के समतुल्य होगा। अर्थात् सिलेबस में जितने क्रेडिट सम्बन्धित पाठ्यक्रम को आवंटित हैं ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी उतने ही क्रेडिट का होगा।

### 9 (a). क्रेडिट समतुल्यता (Credit Equivalence)/समकक्षता मूल्यांकन (Equivalence Evaluation):

- यदि कोई विद्यार्थी किसी पाठ्यक्रम के मध्य में अन्य संस्था से स्थानांतरित होकर इस विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय में संचालित किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है तो सर्वप्रथम उसके द्वारा अध्ययन किये गए पाठ्यक्रम के क्रेडिट की समतुल्यता विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से की जाएगी। यह कार्य क्रेडिट समतुल्यता समिति (Credit Equivalence Committee) द्वारा की जाएगी।
- यदि पाठ्यक्रम, अवधि तथा क्रेडिट भार में न्यूनतम 75% अथवा उससे अधिक समानता/समतुल्यता है तभी उस विद्यार्थी का प्रवेश सम्बन्धित पाठ्यक्रम में हो सकता है और उसके क्रेडिट स्थानांतरित (Credit Transfer) हो सकते हैं



## प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

10. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकायों पर लागू होंगी। तदनुक्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान देना होगा :-

- स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए **40 क्रेडिट** संचित करने के सापेक्ष दो मेजर विषय, एक माइनर विषय, एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम(SEC), एक सह-पाठ्यक्रम(AEC), एक वैल्यू एडेड पाठ्यक्रम(VAC) एवं एक समर ट्रेनिंग होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित संकाय में **प्रमाण पत्र** प्रदान किया जा सकता है (सन्दर्भ - संलग्नक-1)।
- द्वितीय वर्ष के लिए **40 क्रेडिट** संचित करने के सापेक्ष दो मेजर विषय, एक माइनर विषय, एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम(SEC), एक सह-पाठ्यक्रम(AEC), एक वैल्यू एडेड पाठ्यक्रम(VAC) एवं एक समर ट्रेनिंग होंगे, द्वितीय वर्ष तक कुल **80 क्रेडिट** प्राप्त करने पर सम्बन्धित संकाय में **डिप्लोमा** प्रदान किया जा सकता है (सन्दर्भ-संलग्नक-1)।
- तृतीय वर्ष में **40 क्रेडिट** संचित करने के सापेक्ष दो मेजर विषय होंगे, तृतीय वर्ष तक कुल **120 क्रेडिट** प्राप्त करने पर सम्बन्धित संकाय में स्नातक **उपाधि** प्रदान की जा सकती है (सन्दर्भ-संलग्नक-1)।
- स्नातक चतुर्थ वर्ष में **40 क्रेडिट** संचित करने के सापेक्ष **40 क्रेडिट** के सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम होंगे, चतुर्थ वर्ष तक कुल **160 क्रेडिट** प्राप्त करने पर सम्बन्धित संकाय में **स्नातक (ऑनर्स) उपाधि** प्रदान की जा सकती है (सन्दर्भ-संलग्नक-1)।
- स्नातक चतुर्थ वर्ष में **40 क्रेडिट** संचित करने के सापेक्ष **28 क्रेडिट** के सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम तथा **12 क्रेडिट** का रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, चतुर्थ वर्ष तक कुल **160 क्रेडिट** प्राप्त करने पर सम्बन्धित संकाय में **स्नातक (शोध सहित ऑनर्स) उपाधि** प्रदान की जा सकती है (सन्दर्भ-संलग्नक-1)।
- परास्नातक प्रथम वर्ष में **40 क्रेडिट** संचित करने के सापेक्ष **40 क्रेडिट** के सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम होंगे, प्रथम वर्ष तक कुल **40 क्रेडिट** प्राप्त करने पर सम्बन्धित विषय में **एक वर्षीय परास्नातक डिप्लोमा** प्रदान किया जा सकता है (सन्दर्भ-संलग्नक-1)।
- परास्नातक द्वितीय वर्ष में **40 क्रेडिट** संचित करने के सापेक्ष **30 क्रेडिट** के सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम तथा **10 क्रेडिट** का DISSERTATION होगा, द्वितीय वर्ष तक कुल **80 क्रेडिट** प्राप्त करने पर सम्बन्धित विषय में **परास्नातक उपाधि** प्रदान की जा सकती है (सन्दर्भ-संलग्नक-1)।
- तीन/चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में अधिकतम छः/आठ वर्ष तक पुनः प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की सुविधा होगी। अधिकतम अवधि समाप्त होने पर किसी भी अवस्था में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। द्विवर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रमों में यह अवधि 4 वर्ष होगी।

### 11. माइनर (इलेक्टिव) विषय का चयन -

- माइनर (इलेक्टिव) विषय, मुख्य विषयों के अतिरिक्त कोई तीसरा विषय (न्यूनतम 5 क्रेडिट) होगा। बहुविषयता सुनिश्चित करने के लिये माइनर (इलेक्टिव) विषय विद्यार्थी किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty) से ले सकता है। **एकल विषय वाले पाठ्यक्रमों (बी.कॉम, बीबीए, बीसीए) में माइनर (इलेक्टिव) विषय सम्बंधित विषय का ही हो सकता है।**
- विद्यार्थी को स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में माइनर (इलेक्टिव) विषय लेना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय को आवंटित कर सकता है। तृतीय वर्ष में माइनर (इलेक्टिव) विषय की सुविधा नहीं है।
- विद्यार्थी अपनी रुचि एवं सुविधानुसार माइनर (इलेक्टिव) विषय का निर्धारण प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के समय ही निश्चित करेगा, जिसे वह दो वर्ष (प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर) तक अध्ययन करेगा। एक बार माइनर (इलेक्टिव) विषय चयन के पश्चात विषय परिवर्तन नहीं होगा।
- **माइनर (इलेक्टिव) विषय का चुनाव संस्थान में संचालित मुख्य विषयों में से किया जायेगा। चयनित माइनर विषय की कक्षाएँ संकाय में संचालित सम्बंधित मुख्य विषयों के कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होगी तथा उसकी आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षा भी उसी के साथ सम्पन्न होगी।**

### 12. स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय-वर्ग/संकाय के लिए पूर्व पात्रता -

- विज्ञान वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय तथा कृषि संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा; किन्तु यदि छात्र ने इंटरमीडिएट/हाईस्कूल स्तर पर विज्ञान/कला वर्ग के अंतर्गत गणित विषय लिया है तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।



## प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

- कला वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा; किन्तु यदि छात्र ने इंटरमीडिएट स्तर पर कला वर्ग के अंतर्गत अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय लिया है तो वह वाणिज्य संकाय के अंतर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।
- वाणिज्य वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा।
- कृषि वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कृषि संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा।
- व्यावसायिक वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा।

### 13. प्रवेश के लिए सीटों की अनुमन्यता एवं स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए कला संकाय/ विज्ञान संकाय के अंतर्गत विषय-संयोजन :

- a) विश्वविद्यालय स्तर पर **कला संकाय** के अंतर्गत स्नातक स्तर पर चयन हेतु उपलब्ध विषय निम्नांकित तालिका में सूचीबद्ध हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंषा के अनुरूप तथा विश्वविद्यालय व्यवस्था के दृष्टिगत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश के समय निम्नांकित तालिका से **02 मेजर विषयों एवं 01 माइनर (इलेक्टिव) विषय (दो वर्षों हेतु)** का चुनाव चयन सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना होगा। आगामी सत्रों हेतु विषय-चयन की प्रक्रिया को आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। प्रक्रिया परिवर्तन की दशा में विश्वविद्यालय स्तर से पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी।

1.	हिन्दी साहित्य	2.	हिन्दी भाषा	3.	गृह विज्ञान
4.	संस्कृत	5.	उर्दू	6.	संगीत तबला
7.	प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व	8.	राजनीति विज्ञान	9.	संगीत वोकल
10.	दर्शनशास्त्र	11.	रक्षा एवं स्नातेजिक अध्ययन	12.	शारीरिक शिक्षा
13.	अर्थशास्त्र	14.	समाजशास्त्र	15.	संगीत सितार
16.	मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास	17.	शिक्षाशास्त्र	18.	ड्राइंग एवं पेन्टिंग
19.	अंग्रेजी साहित्य	20.	भूगोल	21.	गणित
22.	अंग्रेजी भाषा	23.	मनोविज्ञान	24.	समाज कार्य

- b) **कला संकाय में मेजर/माइनर विषय-चयन सम्बन्धी निर्देश :**

1. दो से अधिक भाषा विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
2. प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व तथा मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
3. समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
4. मनोविज्ञान तथा शिक्षाशास्त्र विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
5. गृहविज्ञान तथा रक्षा एवं स्नातेजिक अध्ययन विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।

- c) **विज्ञान संकाय** के अंतर्गत स्नातक स्तर पर चयन हेतु उपलब्ध विषयों को तीन समूहों ( **Group-A, Group-B, Group-C** ) में विभक्त करते हुए निम्नांकित तालिका में सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंषा के अनुरूप तथा विश्वविद्यालय व्यवस्था के दृष्टिगत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में विज्ञान संकाय के अंतर्गत प्रवेश के समय निम्नांकित तालिका से **02 मेजर विषयों एवं तीसरा माइनर विषय(दो वर्षों हेतु)** का चुनाव चयन सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना होगा। आगामी सत्रों हेतु विषय-चयन की प्रक्रिया को आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। प्रक्रिया परिवर्तन की दशा में विश्वविद्यालय स्तर से पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी।

Group-A (Major/Minor) (Mathematics Group)	Group-B (Major/Minor) (Biology Group)	Group-C (Major/Minor)
1. Physics 2. Mathematics	1. Botany 2. Zoology	1. Chemistry 2. Computer Application 3. Economics 4. Physical Education 5. Defence & Strategic Studies 6. Computer Science



## प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

### d) विज्ञान संकाय विषय-चयन सम्बन्धी निर्देश :

- Pre-requisite की दशा में विद्यार्थी को **Group-A, B** एवं **C** में से दो मुख्य विषय तथा एक माइनर विषय का चयन करना होगा। विद्यार्थी माइनर विषय किसी दूसरे संकाय से भी चयनित कर सकता है।
- Group-A (Mathematics Group)** से विषय का चयन विद्यार्थी तभी कर सकता है जब उसने इंटरमीडिएट Physics और Mathematics के साथ उत्तीर्ण किया हो।
- Group-B (Biology Group)** से विषय का चयन विद्यार्थी तभी कर सकता है जब उसने इंटरमीडिएट Biology के साथ उत्तीर्ण किया हो।
- Group-C** के विषयों में से Chemistry का चयन विद्यार्थी तभी कर सकता है जब उसने इंटरमीडिएट में Chemistry का अध्ययन किया हो।

e) विज्ञान, वाणिज्य एवं प्रबन्ध संकाय के अन्तर्गत संचालित एकल विषय बी०कॉम०/बी०बी०ए०/बी०सी०ए० इत्यादि के लिए निर्धारित क्रेडिट के मेजर विषयों का चयन सम्बंधित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार करना होगा। एकल विषयों के विद्यार्थियों को भी न्यूनतम 5 क्रेडिट का माइनर विषय अपने स्वयं के संकाय से अथवा किसी अन्य संकाय से चयनित करना होगा। (संलग्नक-1)

### f) महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए सीटों की अनुमन्यता :

- शासनादेश संख्या – 421/70-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी०ए० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक इकाई के अन्तर्गत सम्बद्धता प्राप्त मेजर/माइनर विषयों में प्रति विषय 60 सीटों के गुणक में अनुमन्य कुल सीटों की गणना निम्नांकित प्रकार से की जाएगी :

**{पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमन्य कुल सीटें = संकाय में सम्बद्धता प्राप्त मेजर/माइनर विषय X 60}**

उदाहरणार्थ : यदि किसी महाविद्यालय को बी०ए० पाठ्यक्रम हेतु 07 विषयों में सम्बद्धता प्राप्त है तो उस महाविद्यालय के बी०ए० पाठ्यक्रम की एक इकाई के अन्तर्गत प्रवेश हेतु कुल  $07 \times 60 = 420$  सीटें अनुमन्य होंगी।

- किसी पाठ्यक्रम के लिए आगणित कुल सीटें सम्बन्धित पाठ्यक्रम में एक इकाई (यूनिट) की प्रवेश क्षमता (उपरोक्त उदाहरण में 420) को प्रदर्शित करेगी; तदक्रम में, प्रत्येक विषय के एक अनुभाग/सेक्शन में 60 सीट होंगी।
- कला संकाय के अन्तर्गत न्यूनतम 07 विषयों की मान्यता तथा प्रति विषय 01 शिक्षक के अनुमोदन के साथ प्रति इकाई 420 सीटों की सम्बद्धता की स्थिति में विभिन्न विषय संयोजनों के साथ किसी एक विषय में प्रवेश के लिए अनुमन्य सीटों की संख्या अधिकतम 180 होगी।

उदाहरणार्थ के रूप में यदि 7 विषय A,B,C,D,E,F,G हैं तो विषय संयोजन इस प्रकार होगा : -			
1.	A,B,C	5.	E,F,G
2.	B,C,D	6.	F,G,A
3.	C,D,E	7.	G,A,B
4.	D,E,F		

परन्तु किसी एक विषय में शिक्षकों की संख्या 01 से अधिक होने पर विभिन्न विषयों के संयोजनों के साथ उस विषय में अग्रेतर सीटें शिक्षकों की संख्या के सापेक्ष 60 के गुणक में निर्धारित होंगी; अर्थात् यदि एक विषय में 3 अनुमोदित शिक्षक हैं, तो उस विषय में अधिकतम  $180 + (02 \times 60) = 300$  सीटें हो सकती हैं। किन्तु किसी भी दशा में एक पाठ्यक्रम के लिए अनुमन्य मूल सीटों का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

- विज्ञान संकाय के अन्तर्गत न्यूनतम 5 विषयों की मान्यता तथा प्रति विषय 01 शिक्षक के अनुमोदन के साथ प्रवेश के लिए प्रति सेक्शन 60 सीट (2 सेक्शन गणित ग्रुप, 2 सेक्शन जीव विज्ञान ग्रुप ) अधिकतम 240 सीटें उपलब्ध होंगी तथा एक विषय पुंज हेतु अधिकतम 120 सीट अनुमन्य होंगी।

(a) विज्ञान विषयों में विषय संयोजनों (Subject Combinations) के साथ किसी भी दशा में मात्र दो ही विषय पुंज (Mathematics तथा Biological/Life Science) निर्मित होते हैं। अतः प्रवेश हेतु अनुमन्य कुल सीटें दोनों विषय पुंज में बराबर से विभाजित करते हुए विद्यार्थियों को इस प्रतिबन्ध के साथ प्रवेश दिया जायेगा कि दोनों विषय पुंज के किसी उभयनिष्ठ (Common) विषय में विद्यार्थियों की संख्या अनुमन्य कुल सीटों की संख्या से अधिक न हो।



## प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

(b) प्रवेश के लिए अनुमन्य सीटों के 02 विषय-पुंज में बराबर विभक्त किये जाने पर प्रत्येक विषय पुंज के लिए उपलब्ध सीटों पर उसी विषय पुंज को चयनित करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

- v) विभिन्न विषयों में संयोजनों में प्रवेश के लिए निर्धारित सीटों की संख्या का कुल योग किसी भी दशा में सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुमन्य कुल सीटों की संख्या को अतिक्रमित नहीं किया जायेगा।
- vi) शासनादेश संख्या – 421/70-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई 2015 के क्रम में आवेदन एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा विषयवार सीटों की संख्या में एक सत्र के लिए 60 से 80 की अभिवृद्धि की जा सकती है।
- vii) माइनर विषयों (Subject Elective) के सन्दर्भ में उपलब्ध सीटों की गणना के लिए धारा-13f(i) की व्यवस्था बाध्यकारी होगी अर्थात अनुमोदित सीटों में मेजर तथा माइनर दोनों विषयों की सीटें सम्मिलित होंगी
- viii) बी०कॉम० की सम्बद्धता के सापेक्ष पाठ्यक्रम में दो सेक्शन के लिए प्रवेश हेतु सीटों की अनुमन्य संख्या 120 होगी।
- ix) संसाधनों की उपलब्धता एवं आवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में एक या अधिक इकाई अथवा विषयवार अतिरिक्त अनुभाग/सेक्शन की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

### 14. सह-पाठ्यक्रम/कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Co-curricular/ Ability Enhancement Courses) –

- प्रत्येक विद्यार्थी स्नातक स्तर पर आधुनिक भारतीय भाषा तथा अंग्रेजी भाषा पर आधारित सह-पाठ्यक्रम/AEC (Co-curricular/ Ability Enhancement Courses) का चयन करेगा। पाठ्यक्रमों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट में उपलब्ध है। जो निम्नवत हैं :

वर्ष	सेमेस्टर	पाठ्यक्रम
प्रथम वर्ष	द्वितीय सेमेस्टर	1. हिन्दी भाषा कौशल एवं संचार
द्वितीय वर्ष	चतुर्थ सेमेस्टर	2. English Language Skill and Communication

### 15. कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रम :-

- a) कौशल-विकास/रोजगार परक (Vocational) पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में महाविद्यालय के स्तर पर उच्च शिक्षा विभाग के पत्र संख्या 602/सत्तर-3-2021-08(35)/2020 दिनांक 22 फरवरी 2021 के अनुक्रम में कार्यवाही अपेक्षित है।
- b) कौशल विकास/रोजगारपरक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में महाविद्यालय उपरोक्त संदर्भित पत्र में निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त जिले के पॉलिटेक्निक, आई०टी०आई०, अथवा अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से भी अनुबन्ध पत्र (MoU) हस्ताक्षरित कर सकते हैं। अनुबन्ध की एक प्रति अनुमोदनार्थ विश्वविद्यालय में जमा करनी होगी।
- c) शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र में निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त महाविद्यालयों से यह अपेक्षा है कि वे अपने परिसर में न्यूनतम एक विशेषज्ञता युक्त कौशल विकास (Skill Development) का क्लस्टर (Cluster) विकसित करें और छात्रों को इसका व्यापक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अपने निकट के महाविद्यालय से कौशल-विकास के सम्बन्ध में अनुबन्ध पत्र (MoU) हस्ताक्षरित करें, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन की क्रियाविधि (Mode of Operation) स्पष्टता के साथ अंकित हो।
- d) चूँकि कौशल विकास (skill development)/वोकेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु महाविद्यालय को शासन स्तर से किसी प्रकार का अनुदान प्रदान नहीं किया जा रहा है। अतः महाविद्यालय इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों की संख्या एवं आवश्यक संसाधन के आकलन के उपरान्त कौशल विकास से सम्बन्धित प्रशिक्षण का शुल्क-निर्धारण No-Profit-No-Loss के आधार पर अपने स्तर से करें।
- e) कौशल-विकास/रोजगारपरक (Vocational) पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय समयानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे तथा प्रशिक्षण/पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री (Study/Training Materials) की उपलब्धता महाविद्यालय अपने स्तर से करेंगे।
- f) विश्वविद्यालय परिसर के विभाग तथा महाविद्यालय वोकेशनल पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन/प्रशिक्षण विषय वस्तु का निर्धारण अपने स्तर पर करेंगे तथा अपने यहाँ संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सत्रवार सूची तथा पाठ्यक्रम संरचना अनिवार्यतः प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व विश्वविद्यालय को अध्ययन समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे।



## प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

g) संचालन की दृष्टि से वोकेशनल (Vocational) पाठ्यक्रम दो प्रकार के होंगे –

- Regressive Nature - एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले Individual nature के पाठ्यक्रम
- Progressive Nature – एक ही पाठ्यक्रम की विशेषज्ञता अग्रिम सेमेस्टर में क्रमशः बढ़ती जाएगी।

h) वोकेशनल (Vocational) पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन 100 अंकों के सापेक्ष निम्नवत व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। इन पाठ्यक्रमों का संचालन, परीक्षा एवं मूल्यांकन महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के विभाग अपने स्तर से करेंगे।

i) विद्यार्थी के प्रशिक्षण (ट्रेनिंग आधारित) कार्य का मूल्यांकन सत्रान्त में 60 अंकों में किया जायेगा।

ii) 40 अंकों की सैद्धान्तिक परीक्षा भी सत्रान्त में सम्पन्न होगी।

iii) वोकेशनल पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने के लिए 100 अंकों के सापेक्ष 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

i) महाविद्यालय को विद्यार्थियों की संख्या एवं संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से अधिकतम 15 वोकेशनल प्रशिक्षण का क्लस्टर संचालित करने की अनुमति होगी। यदि कोई महाविद्यालय 15 से अधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करना चाहता है तो यथोचित कारणों के साथ संसाधनों की उपलब्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए पृथक रूप से क्लस्टर संचालित करने की अनुमति के लिए विश्वविद्यालय को आवेदन करना होगा।

j) यद्यपि महाविद्यालय को स्थानीय आवश्यकता और कॉर्पोरेट सेक्टर की मांग के-अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण से सम्बन्धित पाठ्यक्रम-का निर्धारण अपने स्तर से करने की स्वतंत्रता है, तथापि सुविधा हेतु व्यवसायिक कार्यक्रमों की सन्दर्भ सूची निम्नवत नियमानुसार दी जा रही।

k) निम्न तालिकाओं में सूचीबद्ध पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अपनी सुविधानुसार अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर सकते हैं किन्तु किसी व्यवसायिक संस्था से अनुबन्ध करके पाठ्यक्रम संचालित करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

### सूची-अ: वर्तमान में संचालित व्यावसायिक/कौशल विकास पाठ्यक्रमों की सूची :-

1	Basics of Computer Applications	8	पत्रकारिता एवं जन संचार	15	Gardening
2	Basics of Microsoft Office	9	Yoga and Fitness	16	Remote sensing
3	Basics of Defence Journalism	10	Tour Guide	17	Professional Ethics
4	Communication Skills	11	सृजनात्मक लेखन	18	Presentation Skills
5	Professional Counseling and Communication	12	संगणक एवं ज्योतिर्विज्ञान	19	Food Processing
6	Entrepreneurship Development	13	Political Journalism	20	Fisheries
7	Maintenance and Repairing of Electrical Equipment	14	Soft Skills Development	21	Computer Application

### सूची-ब: महाविद्यालय निम्न व्यावसायिक/कौशल विकास पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किये जा सकते हैं :-

1	खेल पोषण एवं भौतिक चिकित्सा	9	वीडियोग्राफी	17	आतिथ्य प्रबन्धन
2	रेशम कीट पालन	10	फोटोग्राफी	18	फर्नीचर विकास
3	मधुमक्खी पालन	11	यात्रा प्रबन्धन	19	नर्सरी प्रबन्धन
4	कुटीर उद्योग/ कुक्कुट पालन	12	प्रिन्टिंग	20	मूर्तिशिल्प
5	पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान	13	प्रकाशन	21	पर्यटन प्रबन्धन
6	नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रबन्धन	14	हस्तशिल्प	22	फैशन डिजाइन
7	अचार एवं पापड़ निर्माण	15	मृदा एवं जल संरक्षण	23	इंटीरियर डिजाइन
8	डेयरी उत्पाद एवं प्रसंस्करण	16	सौर ऊर्जा	24	हरितगृह तकनीक

● कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय समयानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे।

● कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन/प्रशिक्षण सामग्री (Study/Training Material) की उपलब्धता महाविद्यालय अपने स्तर से करेंगे।



## प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

### 16. (a) मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम (Value Added Courses) :

- प्रत्येक विद्यार्थी स्नातक स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा, पर्यावरण, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कल्याण, योग, खेल एवं फिटनेस पर आधारित वैल्यू एडेड कोर्स/VAC (Value Added Courses) का चयन करेगा। पाठ्यक्रमों की सूची निम्नवत है:-

वर्ष	सेमेस्टर	पाठ्यक्रम	चयन की शर्तें
प्रथम वर्ष	प्रथम सेमेस्टर	1. Understanding India	किसी एक का चयन करें
		2. Environmental Studies	
द्वितीय वर्ष	तृतीय सेमेस्टर	1. Digital and Technological Solutions	किसी एक का चयन करें
		2. Health, Wellness and Yoga	
		3. NCC	
		4. NSS	
		5. Rovers and Rangers	

### (b) समर ट्रेनिंग:

- प्रत्येक विद्यार्थी द्वितीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर में न्यूनतम 30 दिन की समर ट्रेनिंग करेगा, जिसमें फील्ड वर्क/सर्वे वर्क/सामुदायिक विजिट/औद्योगिक विजिट/इंटरशिप/अप्रेंटिस इत्यादि की जाएगी।

### (c) शोध परियोजना (Research Project):

- जिस विद्यार्थी ने तीन वर्ष पूर्ण करने पर 75% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं ऐसे विद्यार्थी आठवें सेमेस्टर में एक शोध परियोजना का चयन कर सकते हैं, जिसका मूल्यांकन भी आठवें सेमेस्टर में ही होगा। शोध परियोजना के लिए विषय एवं शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण सातवें सेमेस्टर में प्रवेश के समय किया जायेगा। महाविद्यालय 3 माह तक रिपोर्ट को सुरक्षित रखेंगे।

### (d) शोध-प्रबंध (Dissertation):

- शोध प्रबंध हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को एक शोध विषय एवं एक सुपरवाइजर का निर्धारण परास्नातक द्वितीय वर्ष में तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के तदोपरांत ही किया जायेगा। तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म में शोध विषय एवं सुपरवाइजर का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। एक बार शोध विषय निर्धारित हो जाने के पश्चात किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
- सुपरवाइजर द्वारा निरन्तर विद्यार्थी को उसके शोध विषय पर सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा और तृतीय सेमेस्टर के अंत में उसके शोध कार्य के प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
- शोध प्रबंध का मूल्यांकन परास्नातक चतुर्थ सेमेस्टर में किया जायेगा। महाविद्यालय 3 माह तक शोध प्रबंध को सुरक्षित रखेंगे।

### (e) सेमिनार (Seminar):

- चतुर्थ सेमेस्टर में शोध प्रबंध को जमा करने से पूर्व विद्यार्थियों के शोध प्रगति की समीक्षा हेतु एक सेमिनार का आयोजन शोध प्रबंध जमा करने से एक माह पूर्व महाविद्यालय में किया जायेगा। जिसमें विद्यार्थी अपने शोध प्रबंध की प्रगति का प्रस्तुतीकरण करेगा।
- यह ओपन सेमिनार होगा, जिसमें विषय के समस्त विद्यार्थी तथा शिक्षक उपस्थित रहेंगे तथा सभी सेमिनार के पश्चात अपने सुझाव देंगे।
- शोध सुपरवाइजर विद्यार्थी को प्राप्त सुझावों को शोध प्रबंध में सम्मिलित करने के पश्चात ही शोध प्रबंध जमा करने हेतु निर्देशित करेंगे।

### 17. क्रेडिट-ग्रेडिंग प्रणाली तथा परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था –

- स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षा एवं मूल्यांकन पूर्व की तरह सेमेस्टर पद्धति से होगा।
- समस्त विषयों में क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी और सैद्धांतिक विषयों हेतु एक क्रेडिट एक घंटे के अध्यापन के बराबर होगा जबकि प्रायोगिक विषयों हेतु एक क्रेडिट दो घंटे के अध्यापन के बराबर होगा।



## प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

- मेजर एवं माइनर विषयों के प्रश्न पत्र 3/4/5 क्रेडिट के होंगे, जबकि व्यवसायिक एवं सह-पाठ्यक्रम 3 क्रेडिट तथा वैल्यू एडेड कोर्स एवं समर ट्रेनिंग 2 क्रेडिट के होंगे।
- 5 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 75 घंटे की होगी। इसी प्रकार 4 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 60 घंटे, 3 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 45 घंटे तथा 1 क्रेडिट के प्रायोगिक प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 30 घंटे की होगी।
- सभी विषयों (लिखित/प्रायोगिक/ शोध परियोजना/Dissertation/समर ट्रेनिंग आदि) के प्रश्नपत्र **100 अंक** के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर परिवर्तित करके अंकपत्र तैयार किये जायेंगे।
- सभी मेजर एवं माइनर विषयों/प्रश्नपत्रों की परीक्षाएं 25 प्रतिशत सतत आन्तरिक मूल्यांकन (CIE) एवं 75 प्रतिशत बाह्य मूल्यांकन (ETE) (विश्वविद्यालय परीक्षा) के आधार पर की जायेगी।

### सतत आन्तरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Evaluation):

- सैद्धांतिक विषयों में प्रत्येक सत्र (सेमेस्टर) के दौरान सतत आंतरिक मूल्यांकन तीन अवसरों पर किया जाएगा। प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन का पूर्णांक 12.5 अंक एवं अधिकतम कालावधि 45 मिनट की होगी।
- इन तीन आंतरिक मूल्यांकन में से कम से कम दो आन्तरिक मूल्यांकन लिखित परीक्षण एवं तीसरा आन्तरिक मूल्यांकन लिखित/सेमिनार/असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण आदि के रूप में होगा। लिखित परीक्षा वर्णनात्मक प्रकार की होगी।
- प्रायोगिक विषयों में भी तीन अवसरों पर प्रायोगिक-1, प्रायोगिक-2 एवं प्रायोगिक-3 के रूप में सतत आन्तरिक मूल्यांकन किया जायेगा; जिसकी प्रकृति पूर्णतया प्रायोगिक होगी।
- उदाहरणार्थ :**

सतत आंतरिक मूल्यांकन					
Continuous Internal Evolution (CIE) (सतत आंतरिक मूल्यांकन)	TEST – 1	TEST – 2	TEST – 3	Best of Any Two Test	TOTAL
	(MM-12.50)	(MM-12.50)	(MM-12.50)	(Test-1/Test-2 /Test-3)	(MM-25)
Paper: (Theory/Practical)	6.00	7.00	5.00	6.00 + 7.00	13.00

- शोध परियोजना, DISSERTATION, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं समर ट्रेनिंग आदि में सतत आन्तरिक मूल्यांकन नहीं होगा।
- तीन आन्तरिक मूल्यांकन में से दो सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सम/ विषम सेमेस्टर की परीक्षा के मूल्यांकन में पाये गए प्राप्तियों के साथ जोड़ा जाएगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम दो आन्तरिक मूल्यांकन एवं एवं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सम/ विषम सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है अन्यथा उस प्रश्नपत्र में विद्यार्थी को अनुपस्थित मानकर AB ग्रेड दिया जाएगा अर्थात विद्यार्थी को तीन आन्तरिक मूल्यांकन में से कम से कम दो आन्तरिक मूल्यांकन में उपस्थित होना अनिवार्य होगा नहीं तो वह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सम/ विषम सेमेस्टर परीक्षा परीक्षा हेतु पात्र नहीं होगा एवं विद्यार्थी को उस प्रश्नपत्र में अनुपस्थित माना जाएगा।
- सतत आन्तरिक मूल्यांकन उसी शिक्षक द्वारा किया जाएगा जो उस सत्र में उस प्रश्नपत्र का अध्यापन कार्य कर रहा है।
- सतत आन्तरिक मूल्यांकन हेतु प्रश्नपत्र का निर्माण एवं सम्बंधित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, उस प्रश्नपत्र का अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षक द्वारा ही किया जाएगा।
- सतत आन्तरिक मूल्यांकन फीडबैक आधारित होगा। मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका विद्यार्थी को दिखाने एवं उनकी संतुष्टि के उपरान्त वापस ली जाएगी तथा परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सम्बन्धित संस्था द्वारा कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखी जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार इनका परीक्षण किया जा सकता है।



## प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

- (k.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन के संदर्भ में सम्बंधित शिक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।
- (l.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन में होने वाले समस्त व्यय को सम्बंधित संस्था द्वारा ही वहन किये जायेंगे।
- (m.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन हेतु समय-सारणी विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाएगी। प्रथम आन्तरिक मूल्यांकन के अंक द्वितीय आन्तरिक मूल्यांकन के पूर्व एवं द्वितीय के अंक तृतीय के पूर्व तथा तृतीय मूल्यांकन के अंक बाह्य परीक्षा के 15 दिन पूर्व लॉगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लॉगिन बंद होने के पश्चात अंक किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

### सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों का बाह्य मूल्यांकन (End Term Evaluation):

- (n.) सम/विषम सेमेस्टर परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा सत्र (सेमेस्टर) के अंत में संपन्न कराई जाएगी।
- (o.) लिखित सम/विषम सेमेस्टर परीक्षा 75 अंको की होगी।
- (p.) लिखित परीक्षा की कालावधि 2 घण्टे एवं शब्द सीमा अधिकतम 2000 की होगी।
- (q.) लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित करते हुए बनाये जायेंगे। जिसमें अति लघुउत्तरीय, लघुउत्तरीय एवं दीर्घउत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे और प्रश्नपत्र में प्रश्नों के उपयुक्त विकल्प दिए जायेंगे। विद्यार्थी को निम्नलिखित संख्या में प्रश्नों को हल करना होगा :-

प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों के अधिकतम विकल्प	प्रश्न हल करने की संख्या	कुल अंक	शब्द सीमा
अति लघुउत्तरीय प्रश्न	05	03	03 X 03 = 09	50 शब्द
लघु उत्तरीय प्रश्न	07	04	04 X 09 = 36	200 शब्द
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न	04	02	02 X 15 = 30	500 शब्द
<b>कुल योग</b>	<b>16</b>	<b>09</b>	<b>75</b>	<b>अधिकतम 2000</b>

### प्रायोगिक पाठ्यक्रमों की मूल्यांकन प्रणाली :

- (a.) प्रायोगिक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन भी 100 अंकों में होगा; जिनको क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली में परिवर्तित करके अंकपत्र तैयार होंगे।
- (b.) इन 100 अंकों में 25 अंकों का सतत आन्तरिक मूल्यांकन तथा 75 अंकों की सत्रान्त परीक्षा होगी।
- (c.) सत्रान्त में 75 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य/ विश्वविद्यालय की स्थिति में विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त संबंधित विषय के दो शिक्षकों (एक आन्तरिक एवं एक बाह्य) द्वारा किया जायेगा। यहाँ पर आन्तरिक शिक्षक से तात्पर्य संबंधित विषय के प्रश्नपत्र का अध्यापन कार्य कर रहा शिक्षक है जबकि बाह्य शिक्षक से तात्पर्य संबंधित विषय के प्रश्न पत्र का अध्यापन कार्य न कर रहे शिक्षक से है। इस प्रकार बाह्य शिक्षक आपके महाविद्यालय से भी हो सकता है और आपके नजदीकी महाविद्यालय से भी हो सकता है। दोनों शिक्षक सम्बन्धित विषय का अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
- (d.) महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षकों की सूची प्रायोगिक परीक्षा आयोजन होने के 3 दिन पूर्व विश्वविद्यालय को सूचनार्थ अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाएगी।
- (e.) महाविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षकों की अनुपलब्धता/असमर्थता की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है।
- (f.) सत्रान्त में होने वाली प्रायोगिक परीक्षा के परीक्षकों का पारिश्रमिक भुगतान; महाविद्यालयों के प्राचार्य/विश्वविद्यालय की स्थिति में विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षकों द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। महाविद्यालयों के प्राचार्य/विश्वविद्यालय की स्थिति में विभागाध्यक्ष समस्त पारिश्रमिक बिल प्रमाणित करते हुए विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
- (g.) मूल्यांकन के उपरान्त प्रायोगिक अंकों को ससमय पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा।



# प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

## सह-पाठ्यक्रम/क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Cocurricular/ Ability Enhancement Courses) की परीक्षा प्रणाली :

- सभी सह-पाठ्यक्रम/AEC विषयों की परीक्षा बहु-विकल्पीय आधार (OMR Based) पर होगी। इसमें 75 अंकों के बहु-विकल्पीय प्रश्न होंगे; जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे। गलत उत्तर के सापेक्ष ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा। इस प्रश्न पत्र की समयाविधि 2 घंटे होगी।
- सह-पाठ्यक्रम विषयों में भी 25 अंकों का तीन अवसरों पर सतत आन्तरिक मूल्यांकन होगा।
- सह-पाठ्यक्रमों/AEC विषय की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा सत्रान्त में आयोजित की जावेगी।

## वैल्यू एडेड कोर्स की परीक्षा प्रणाली:

- सभी वैल्यू एडेड कोर्स की परीक्षा बहु-विकल्पीय आधार (OMR Based) पर होगी। इसमें 75 अंकों के बहु-विकल्पीय प्रश्न होंगे; जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे। गलत उत्तर के सापेक्ष ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा। इस प्रश्न पत्र की समयाविधि 2 घंटे होगी।
- वैल्यू एडेड कोर्स में भी 25 अंकों का तीन अवसरों पर सतत आन्तरिक मूल्यांकन होगा।
- वैल्यू एडेड कोर्स की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा सत्रान्त में आयोजित की जावेगी।

## व्यावसायिक तथा कौशल विकास की परीक्षा प्रणाली:

- वोकेशनल (Vocational) पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन 100 अंकों के सापेक्ष निम्नवत व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। इन पाठ्यक्रमों का संचालन, परीक्षा एवं मूल्यांकन महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के विभाग अपने स्तर से करेंगे।
  - विद्यार्थी के प्रशिक्षण (ट्रेनिंग आधारित) कार्य का मूल्यांकन सत्रान्त में 60 अंकों में किया जायेगा।
  - 40 अंकों की सैद्धान्तिक परीक्षा भी सत्रान्त में सम्पन्न होगी।
- वोकेशनल (Vocational) पाठ्यक्रमों में सतत आन्तरिक मूल्यांकन नहीं होगा तथा विद्यार्थी के प्रशिक्षण कार्य एवं सैद्धान्तिक परीक्षा का मूल्यांकन अध्यापन कार्य करा रहे शिक्षक द्वारा किया जायेगा।

## समर ट्रेनिंग (Summer Training):

- समर ट्रेनिंग का भी मूल्यांकन 100 अंकों के सापेक्ष होगा तथा इसमें आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा।
- विद्यार्थियों को न्यूनतम 30 दिवसों की समर ट्रेनिंग पूर्ण करने के उपरांत एक विस्तृत रिपोर्ट महाविद्यालय में जमा करनी होगी। इस रिपोर्ट के साथ जिस संस्था में विद्यार्थी द्वारा समर ट्रेनिंग पूर्ण की गई है, उस संस्था द्वारा प्रदत्त समर ट्रेनिंग पूर्ण करने का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- विद्यार्थियों के समर ट्रेनिंग की रिपोर्ट (सम्बन्धित संस्था के प्रमाण पत्र सहित) का मूल्यांकन विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य द्वारा नियुक्त दो आन्तरिक परीक्षकों द्वारा किया जायेगा।
- महाविद्यालय विद्यार्थियों के समर ट्रेनिंग की रिपोर्ट को 3 माह तक सुरक्षित रखेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी इनका निरीक्षण किया जा सकता है।

## शोध परियोजना (Research Project) का मूल्यांकन:

- स्नातक चतुर्थ वर्ष/परास्नातक द्वितीय सेमेस्टर में शोध परियोजना का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त दो शिक्षकों (एक आन्तरिक एवं एक बाह्य) द्वारा किया जायेगा। आन्तरिक परीक्षक सम्बन्धित विद्यार्थी का सुपरवाइजर होगा तथा बाह्य परीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
- महाविद्यालय विद्यार्थियों के शोध परियोजना को 3 माह तक सुरक्षित रखेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी इनका निरीक्षण किया जा सकता है।
- विद्यार्थी अपने शोध प्रोजेक्ट की साहित्यिक चोरी (Plagiarism) की जाँच अवश्य करेंगे और सर्टिफिकेट को रिपोर्ट में संलग्न करेंगे।



# प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

## शोध-प्रबंध (Dissertation) का मूल्यांकन:

- विद्यार्थी को शोध प्रबंध हेतु शोध विषय एवं एक सुपरवाइजर परास्नातक तृतीय सेमेस्टर में ही आवंटित किया जायेगा।
- विद्यार्थी मूल्यांकन हेतु शोध प्रबंध (कम्प्यूटर टाइप-हार्डबाईंड) परास्नातक अंतिम सेमेस्टर में महाविद्यालय में जमा करेगा। विद्यार्थी अपने शोध प्रबंध की साहित्यिक चोरी (Plagiarism) की जाँच अवश्य करेंगे और जाँच के सर्टिफिकेट को शोध प्रबंध में संलग्न करेंगे।
- महाविद्यालय बगैर साहित्यिक चोरी के सर्टिफिकेट के शोध प्रबंध जमा नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार मात्र 10% तक साहित्यिक चोरी अनुमत्य है।
- परास्नातक अंतिम सेमेस्टर में विद्यार्थी के शोध प्रबंध का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त दो परीक्षकों (एक आन्तरिक एवं एक बाह्य) द्वारा 100 अंको के सापेक्ष किया जायेगा। यहाँ आन्तरिक परीक्षक सम्बन्धित विद्यार्थी का सुपरवाइजर होगा तथा बाह्य परीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
- परीक्षक, विद्यार्थी द्वारा जमा किये गए शोध प्रबंध का मूल्यांकन करेंगे तथा विद्यार्थी परीक्षकों के समक्ष अपने शोध कार्य का प्रस्तुतीकरण देंगे। परीक्षक प्रस्तुतीकरण का भी मूल्यांकन करेंगे। शोध प्रबंध के मूल्यांकन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।
- महाविद्यालय बाह्य परीक्षक से संपर्क करके मूल्यांकन सम्पन्न करवाएंगे तथा ससमय मूल्यांकन के अंक विश्वविद्यालय के पोर्टल में अपलोड करेंगे।
- महाविद्यालय विद्यार्थियों के शोध-प्रबंध को 3 माह तक सुरक्षित रखेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी इनका निरीक्षण किया जा सकता है।

## सेमिनार (Seminar):

- विद्यार्थी के सेमिनार का मूल्यांकन विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य द्वारा नियुक्त दो आन्तरिक परीक्षकों (एक शोध सुपरवाइजर तथा एक अन्य विषय का शिक्षक) द्वारा किया जायेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी के मूल्यांकन हेतु उक्तानुसार परीक्षकों की सूची बनाकर सेमिनार की परीक्षा को संपन्न किया जायेगा।

## प्रोन्नति (Promotion):

- विद्यार्थी कुल 60 प्रतिशत क्रेडिट एवं SGPA-4 अर्जित करने के पश्चात ही अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। 60 प्रतिशत क्रेडिट एवं SGPA-4 से कम प्राप्तांको की दशा में विद्यार्थी को अगले सत्र में उसी सेमेस्टर में पुनः प्रवेश (Re-Admission) लेकर अध्ययन करना होगा।
- जिन विद्यार्थियों ने स्नातक स्तर पर छः सेमेस्टर तक कुल CGPA-7.5 (75% तथा अधिक अंक) प्राप्त किये होंगे, केवल वे विद्यार्थी चार वर्षीय स्नातक (शोध सहित ऑनर्स) हेतु सातवें सेमेस्टर में प्रोन्नति हेतु अर्ह होंगे।
- CGPA-7.5 (75% अंक) से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी भी चार वर्षीय स्नातक के लिए अर्ह होंगे किन्तु ऐसे विद्यार्थियों को सम्बन्धित संकाय में स्नातक (ऑनर्स) की उपाधि प्रदान की जाएगी।
- तीन वर्ष का स्नातक पूर्ण करने पर सम्बन्धित संकाय में स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी।

## बैक पेपर/ बैक परीक्षा (Back Paper Exam/Supplementary Exam):

- विद्यार्थी को बैक पेपर/ बैक परीक्षा (Back Paper Exam/ Supplementary) की सुविधा सम/विषम सेमेस्टर के कोर्स के लिए सम्बंधित सम/विषम सेमेस्टर में ही उपलब्ध होगी।
- यदि कोई विद्यार्थी किसी एक अथवा अधिक कोर्स में अनुत्तीर्ण है और सेमेस्टर में प्रोन्नत है। तो विद्यार्थी अगले वर्ष सम्बंधित सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण कोर्स हेतु **Back Paper Exam/Supplementary Exam Form** में ऑनलाइन आवेदन करके बैक परीक्षा में भाग ले सकता है।
- यदि विद्यार्थी सेमेस्टर अनुत्तीर्ण (Fail) है अथवा प्रोन्नत नहीं हो सका है तो विद्यार्थी को अगले वर्ष सम्बंधित सेमेस्टर में पुनः प्रवेश (Re-Admission) लेकर सेमेस्टर पूर्ण करना होगा।
- विद्यार्थी को बैक परीक्षा के सम्बंधित प्रश्न पत्र की समस्त आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षाओं में पुनः भाग लेना अनिवार्य होगा और यदि संभव है तो कक्षाओं में भी उपस्थित रहना होगा।



## प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

### पुनः प्रवेश (Re-Admission for Ex-Student) :

- यदि कोई विद्यार्थी किसी सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण (Fail) हो जाता है और प्रोन्नत नहीं होता है अथवा सेमेस्टर की परीक्षा छोड़ देता है अथवा किसी कारण से सेमेस्टर अन्तराल (Gap) करता है तो ऐसे भूतपूर्व विद्यार्थियों को सम्बंधित सेमेस्टर में पुनः प्रवेश (Re-Admission) लेना होगा और उसे नियमित विद्यार्थी की तरह कक्षा में उपस्थित रहना होगा तथा सभी आन्तरिक परीक्षाओं एवं विश्वविद्यालय परीक्षा में भाग लेना होगा।
- ऐसे बैकलॉक (Ex-student) विद्यार्थियों का पुनः प्रवेश नियमित विद्यार्थी के रूप में होगा तथा विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। यहाँ Ex-student का तात्पर्य Extra Student से है।
- विषम सेमेस्टर हेतु पुनः प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया जुलाई में तथा सम सेमेस्टर हेतु प्रवेश प्रक्रिया जनवरी में संपन्न की जाएगी। पुनः प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय के पोर्टल से ऑनलाइन पूर्ण की जाएगी तथा तिथियों का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
- पुनः प्रवेश (Re-Admission) हेतु विद्यार्थियों को अपने महाविद्यालय से संपर्क करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा पुनः प्रवेश सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे अर्थात् अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के पुनः प्रवेश की पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। विश्वविद्यालय द्वारा पुनः प्रवेश की तिथि निर्धारण के पश्चात महाविद्यालय अपने सभी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपने स्तर से पुनः प्रवेश हेतु सूचित करेंगे तथा ससमय भूतपूर्व विद्यार्थियों का पंजीकरण विश्वविद्यालय के पोर्टल में करेंगे।

समस्त पाठ्यक्रमों में 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी जो निम्नवत है :-

लेटर ग्रेड	ग्रेड पॉइंट	विवरण	अंको की सीमा
O	10	Outstanding	91-100
A <sup>+</sup>	9	Excellent	81-90
A	8	Very good	71-80
B <sup>+</sup>	7	Good	61-70
B	6	Above Average	51-60
C	5	Average	41-50
P	4	Pass	33-40
F	0	Fail	0-32
AB	0	Absent	Absent
Q	-	Qualified	-
NQ	-	Not Qualified	-
U	-	UFM	-

- Qualifying पाठ्यक्रमों में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।
- SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्र के तहत की जाएगी :

$SGPA (S_i) = \frac{\sum (C_i \times G_i)}{\sum C_i}$	यहाँ पर : C <sub>i</sub> = the number of credits of the i <sup>th</sup> course in a semester G <sub>i</sub> = the grade point scored by the student in the i <sup>th</sup> course.
$CGPA = \frac{\sum (C_i \times S_i)}{\sum C_i}$	S <sub>i</sub> = S <sub>i</sub> is the SGPA of the i <sup>th</sup> semester C <sub>i</sub> = the total number of credits in the i <sup>th</sup> semester.

- CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

$$\text{समतुल्य प्रतिशत} = CGPA \times 10$$



## प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

- विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी प्रदान की जाएगी :

श्रेणी	वर्गीकरण
विशिष्टता के साथ प्रथम श्रेणी	8.00 अथवा उससे अधिक CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 8.00 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
उत्तीर्ण श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।

18. समस्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी उत्तीर्णता प्रोत्साहित करने के लिए कृपांक (Grace Marks) का प्रावधान किया जा सकता है। प्रायोगिक/व्यावसायिक पाठ्यक्रम/समर ट्रेनिंग/शोध परियोजना/शोध-प्रबन्ध (Dissertation)/सेमिनार इत्यादि में कृपांक का प्रावधान नहीं होगा।

19. बैक परीक्षा, पुनः प्रवेश एवं कृपांक के आधार पर उत्तीर्णता श्रेणी प्राप्त विद्यार्थी किसी भी प्रकार के पदक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

20. विश्वविद्यालय भविष्य में उपर्युक्त दिशानिर्देशों में किसी भी प्रकार का संशोधन एवं परिवर्तन कर सकता तथा किसी भी बिन्दु को किसी भी समय निरस्त कर सकता है।

21. वैधानिक संस्थाओं जैसे NCTE, BCI, PCI, ICAR एवं अन्य के अन्तर्गत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों का अध्यापन एवं परीक्षाएं इन संस्थाओं के नियमानुसार होंगी।

कुलसचिव

